# <u>न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील बैहर, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक—300843 / 2016</u> संस्थित दिनांक—08 / 12 / 2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—परसवाड़ा, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

### // विरुद्ध //

सुक्कल मड़ावी पिता मिलापसिंह, उम्र—24 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—ग्राम भीकेवाड़ा, थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

– –<mark>अभियुक्त</mark>

## // <u>निर्णय</u> // <u>(आज दिनांक-27.11.2017 को घोषित)</u>

- 1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324, 506 भाग—2 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक—21.11.2016 को समय 20:30 बजे फरियादी गौतू उर्फ गौतम उइके के मकान के सामने गली में भीकेवाड़ा परसवाड़ा में फरियादी को लोकस्थान पर मॉ—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी के साथ कुदाली से दाये कंधे में मारकर उसे स्वेच्छया साधारण उपहित कारित कर, फरियादी को भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2— प्रकरण में अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त किया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 राजीनामा योग्य नहीं होने से इस धारा में अभियुक्त पर प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।
- 3— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी गौतू उर्फ गौतम उइके ने दिनांक 22.11.2016 को थाना परसवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि फरियादी की पुत्री अंजली ने फरियादी को दो तीन बार यह बताया था कि पड़ोस का अभियुक्त सुक्कल मड़ावी उसको आते जाते आई लव यू बोलता रहता है। दिनांक—21.11.2016 को रात्रि में करीब 08:30 बजे फरियादी खाना खाकर उसके घरके सामने खड़ा था। तब फरियादी अभियुक्त से बोला था कि उसकी पुत्री को गलत बात क्यों बोलता है। तब अभियुक्त फरियादी को मां बहन की

चोदू की गंदी गंदी गालियां देने लगा था। फरियादी के समझाने पर अभियुक्त नहीं माना था और अभियुक्त कुदाली लेकर आया था और फरियादी को दाहिने कंधे में मार दिया था एवं अभियुक्त फरियादी से बोला था कि बीच में आयेगा तो जान से खत्म कर देगा। उसके बाद फरियादी कंधे की चोट के कारण गिर गया था। फरियादी की पत्नी सुरमिला मुन्नी एवं उसकी पुत्री अंजली फरियादी के पास आये थे उसे उठाकर कोटवार के घर ले गये थे। कोटवार को घटना के बारे में बताया था। उसके बाद पुलिस थाना परसवाड़ा ने फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराकर फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध कमांक—113/2016 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया था।

4— अभियुक्त पर निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया था, तब अभियुक्त ने अपराध करना अस्त्रीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

#### 5— 📈 प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:—

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक—21.11.2016 को समय 20:30 बजे फरियादी गौतू उर्फ गौतम उइके के मकान के सामने गली में भीकेवाड़ा परसवाड़ा में फरियादी को कुदाली से दाऐं कंधे में मारकर उसे स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की थी ?

# विवेचना एवं निष्कर्ष - रू

6— गौतू उर्फ गौतम अ.सा.1 का कथन है कि वह अभियुक्त को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से पूर्व अप्रेल मई माह की ग्राम भीकेवाड़ा की रात्रि की 8—9 बजे की है। उक्त साक्षी का अभियुक्त से मौखिक विवाद हो गया था एवं धक्का मुक्की हो गयी थी जिससे वह नीचे गिर गया था। इस कारण उसने अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना परसवाड़ा में प्रदर्श पी—1 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने साक्षी की निशानदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी—2 बनाया था। साक्षी ने प्र.पी.01 की रिपोर्ट का एवं प्र.पी.03 के पुलिस कथन का कमशः ए से ए भाग पुलिस को लिखाने एवं बताने से इंकार किया है। साक्ष ने उसकी साक्ष्य में यह बताया है कि उसने अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है, राजीनामा करने के कारण फरियादी ने उसकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं

किया है। अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य को देखते हुए एवं राजीनामा होने के कारण प्रकरण में अन्य किसी साक्षीगण की साक्ष्य नहीं कराई गई है। गौतू उर्फ गौतम अ.सा.1 की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी गौतू उर्फ गौतम को कुदाली से दाएं कंधे में मारकर उसे स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की थी। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- प्रकरण में धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।
- प्रकरण में अभियुक्त के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जावें। 8-
- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुदाली(गैंती) अपील अवधी पश्चात नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर, जिला–बालाघाट

(दिलीप सिंह) ATTACHED BY BUILDING न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर, जिला–बालाघाट